न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्र0सं0 04/2021

जसवन्तकौर पत्नी जगमेलसिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 एफ तहसील श्री करणपुर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 2 एम एम धरिंगावाली तहसील श्री करणपुर
2. विकास अधिकारी, पंचायत समितिख श्रीकरणपुर।
3. आजाद पाल पुत्र बलदेवसिंह निवासी 39 एफ तहसील श्री करणपुर।

अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994

उपस्थित : 1. श्री जीतपाल सैनी, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री राजकुमार नागपाल, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 3

आदेश दिनांक : 31.03.2022

निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्री करणपुर के आदेश कमांक पंसक/पंचा0/2021-22/7852 दिनांक 18-11- 21 के द्वारा सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय हाजा को दिये गये आदेश को निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के सक्षेंप में सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता का के पति जगमेलसिंह पुत्र रामसिंह 39 एफ के स्थाई निवासी हैं इससे पूर्व रामसिंह पाकिस्तान से 1947 में गॉव 39 एफ में आकर निवास करने लगे। रामसिंह के दो लड़के बलदेवसिंह व जगमेलसिंह थे। दोनों लड़के उनके साथ ही निवास करने लगे। उसके बाद रामसिंह की मृत्यू हो गई। इसके उपरांत प्रार्थिया की पति जगमेलसिंह की मृत्यू हो गई। प्रार्थिया अपने कब्जा काश्त चक 39 एफ के मु0 नं0 16 में 1947 से काबिज चले आ रहे हैं और मकान बना कर निवास कर रहे हैं। प्रार्थिया के पति की मृत्यू का फायदा उठाते हुए आजाद पाल पुत्र बलदेवसिंह द्वारा झूठी शिकायत विकास अधिकारी, श्री करणपुर के समक्ष पेश की और विकास अधिकारी द्वारा बिना निगरानीकर्ता को सुने एकतरफा तौर पर दिनांक 18-11-21 को आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। जिस भूमि पर मकान बनाया हुआ है, उस निगरानीकर्ता काबिज है। भूमि कृषि भूमि है जो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Web Copy - Not Official
Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पंचायत के अधिकार में नहीं है और न ही उस भूमि का पट्टा बनाया जा रहा है। अहाता सं0 56 ए फर्जी तौर पर तैयार किया गया है। विकास अधिकारी का आदेश एकपक्षीय है, बिना सुने पारित किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थिया अपने कब्जा काश्त चक 39 एफ के मु0 नं0 16 में 1947 से काबिज चले आ रहे हैं और मकान बना कर निवास कर रहे हैं। प्रार्थिया के पति की मृत्यू का फायदा उठाते हुए आजाद पाल पुत्र बलदेवसिंह द्वारा झूटी शिकायत विकास अधिकारी, श्री करणपुर के समक्ष पेश की और विकास अधिकारी द्वारा बिना निगरानीकर्ता को सुने एकतरफा तौर पर दिनांक 18–11–21 को आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। जिस भूमि पर मकान बनाया हुआ है, उस निगरानीकर्ता काबिज है। भूमि कृषि भूमि है जो ग्राम पंचायत के अधिकार में नहीं है और न ही उस भूमि का पट्टा बनाया जा रहा है। अहाता सं0 56 ए फर्जी तौर पर तैयार किया गया है। विकास अधिकारी का आदेश एकपक्षीय है, बिना सुने पारित किया गया है। अस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानीधीन आदेश न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं है बल्कि प्रशासनिक आदेश है जो विकास अधिकारी द्वारा सहायक ग्राम विकास अधिकारी को पत्र लिखकर अतिकमण हटाने के निर्देश दिये हैं। प्रशासनिक पत्र निगरानी का आधार नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में 2022 (1) डी एन जे (रेवे0)214का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी सं0 3 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22–3–22 को प्रारम्भिक आपतियों का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24–3–22 को प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी सं0 3 के अधिवक्ता की प्रथम आपति है कि निगरानीधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। इस तर्क के खण्डन में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित किया कि आदेश की पूर्व में प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई थी। मामला आवश्यक प्रकृति था। अब प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दी गई है। दिनांक 24–3–22 को फार्म नं0 3 के साथ निगरानीधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा चुकी है। इसलिए उक्त तर्क में कोई सार न होने से खारिज किया जाता है।

द्वितीय आपति है कि निगरानी जिस आदेश के खिलाफ की गई है, वह आदेश न्यायिक आदेश नहीं है बल्कि प्रशासनिक आदेश है जिसकी कानूनन निगरानी नहीं की जा सकती है। इसके खण्डन में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रशासनिक नहीं है,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायिक आदेश है बल्कि इस आदेश से निगरानीकर्ता के हित प्रभावित होते हैं। उक्त आपत्ति का निर्णय प्रकरण के विवेचन के आधार पर नीचे किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि निगरानी आदेश क्रमांक पंसक/पंचा/2021-22/7852 दिनांक 18-11-21 का अवलोकन किया गया। दिनांक 18-11-21 का पत्र है न कि आदेश। उक्त पत्र द्वारा विकास अधिकारी ने सहायक ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि प्रार्थना पत्र की जॉच करवा कर पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटवाया जावे। यह पत्र न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है बल्कि एक प्रशासनिक पत्र है। निगरानी में न तो ग्राम पंचायत के किसी पट्टे, प्रस्ताव या कार्यवाही को चुनौति नहीं दी गई है बल्कि एक पत्र को निगरानी का आधार बनाया गया है।

वकील अप्रार्थी सं0 3 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2022 (1) डी एन जे (रेवे0)214 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 – धारा 230 – तहसीलदार ने अवरोधिक रास्ते को खुलवाने हेतु नायब तहसीलदार को पत्र लिखा – निगरानी – अपोषणीयता– प्रशसनिक आदेश – न्यायिक आदेश नहीं – निगरानी पोषणीय नहीं है – क्षेत्राधिकारिता के बारे में आदेश पारित नहीं किया – निर्णीत, निगरानी सारहीन व पोषणीय नहीं है और खारिज की।

अतः माननीय राजस्व मण्डल के उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में मेरे विनम्र मत में जिस पत्र को निगरानी का आधार बनाया गया है, वह पत्र प्रशासनिक पत्र है जो न्यायिक आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अतः इस आधार पर निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 31-03-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर (राज.)